न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :- 12/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना ओसियां, जिला जोधपुर ग्रामीण,		1. अर्जुनराम पुत्र चैनाराम उम्र-32 वर्ष, जाति-माली, निवासी-बुचकलां हाल तिंवरी जिला-जोधपुर 2. राजूराम पुत्र खेताराम उम्र-21 वर्ष, जाति-माली निवासी-ग्राम सेवकीकलां जिला-जोधपुर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थितिः-
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत साँखला उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं

<u>निर्णय</u>

दिनांक 01.02.2018

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना ओसियां, जोधपुर ग्रामीण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 27.08.14 को 4.30 पी. एम. पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक पिकअप बोलेरो गाड़ी संख्या RJ-19-GD-3887 जिसमें केरोसीन के ड्रम भरे हुए है मथानियां से निकल कर ओसियां की तरफ आ रहे है जो कि केरोसीन को अवैध रूप से बेचने के लिए फलोदी जायेगे, सूचना पर चाडी चौराहा पर नाकाबन्दी व पूछताछ करने पर उक्त नम्बर की पिकअप गाड़ी का पीछा करनते हुए भीकमकोर गांव से डेढ दो किलोमीटर आगे पिकअप नम्बर RJ-19-GD-3887 बोलेरो गाड़ी जाती दिखाई दी जिसका ओवरटेक कर रूकवाने पर चालक व उसके पास बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर चालक ने अपना नाम अर्जुनराम पुत्र चैनाराम जाति माली उम्र 32 वर्ष

निवासी बुचकलां हाल तिंवरी व पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजूराम पुत्र खेताराम, जाती माली माली उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सेवकलकलां बताया। पिकअप की तलाशी में 2 ड्रम लोहे के व 1 ड्रम प्लास्टिक का कुल तीन ड्रम नीले केरोसीन से भरे हुए पाये गये। प्रत्येक ड्रम में 200-200 लीटर केरोसीन भरा हुआ पाया गया जिसके बारे में पूछने पर उक्त केरोसीन मथानिया हॉस्पिटल के सामने से पुखराज माली से 8500/- रूपये प्रति ड्रम के भाव से खरीदना तथा इसके खरीदने व बेचने का परमिट नहीं होना बताया। अत: भारी मात्रा में नीले केरोसीन का परिवहन कर बेचने के लिऐ ले जाना पाये जाने पर उक्त केरोसीन को जब्त किया गया। इस प्रकार अधिक मात्रा में केरोसीन का परिवहन कर बेचना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा उक्त 600 लीटर केरोसीन मय ड्रम को राज्यसात किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, ऐसी स्थिति में विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण अर्जुनराम व राजूराम द्वारा अवैध रूप से भारी मा़त्रा में केरोसीन का संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तसुदा 600 लीटर केरोसीन मय ड्रम को राज्यसात करने के आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 श्री भरत सांखला ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी अर्जुनराम कई वर्षों से अपनी रोजी रोटी व भरण पोषण हेतु अपने वाहन से दूध, पानी, सब्जियां इत्यादि परिवहन करता था व वर्तमान में भी कर रहा है। अप्रार्थी श्री राजूराम द्वारा अप्रार्थी श्री अर्जुनराम को अपने वाहन से 200-200 लीटर के तीन ड्रम जिसमें डीजल भरा हुआ है को स्वयं के खेतों में पहुंचाने व उचित पारितोषिक/पारिश्रमिक देने हेतु कहां गया। अप्रार्थी को नीले केरोसीन के अवैध रूप से परिवहन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इसमें अप्रार्थी अर्जुनराम की भूमिका नहीं है। अत: प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी की ओर से उपस्थित विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण अर्जुनराम व राजूराम द्वारा अवैध रूप से भारी मा्त्रा में नीले केरोसीन का संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तसुदा 600 लीटर केरोसीन मय ड्रम को राज्यसात करने के आदेश पारित किया जाना उचित समझते है।

अत: उपरोक्त विवरण के आधार पर थानाधिकारी, ओसियां द्वारा अप्रार्थीगण अर्जुनराम पुत्र चैनाराम व राजूराम पुत्र खेताराम से जब्त किये गये 600 लीटर नीले केरोसीन मय ड्रम का अवैध संग्रहण तथा परिवहन कर ले जाना पाये जाने के कारण इन्हे राज्यसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी, पुलिस थाना ओसियां व जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार जब्तसुदा उक्त नीले केरोसीन के निस्तारण की कार्यवाही करते हुए प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराये। आदेश की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना ओसियां व जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर